क्षेत्रीय कार्यालय
फो0/फै0–0515–2830488

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

बी–16, आवास विकास कालोनी,
उन्नाव

पत्रॉंक सं0–1687/N.O.C/710/16 दिनॉंक– 03/08/16

सेवा में,

मेसर्स अभिषेक आटोमोबाईल्स (एस्सार ऑयल लि0),
(रिटेल आउटलेट),
गाटा संख्या–184, ग्राम व पो0–रैंसो,
हरदोई रोड, तहसील–सण्डीला,
जनपद–हरदोई।

विषयः **पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से रिटेल आउटलेट भण्डारण/वितरण हेतु नई इकाई की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र का निर्गमन।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक–25.07.2016 जो निवेश मित्र के माध्यम से इस कार्यालय में दिनांक 25.05.2016 को प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ लें। आपके आवेदन पत्र पर विचार किया गया है, तथा अवगत हों कि रिटेल आउटलेट भण्डारण/वितरण हेतु पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नकों) के साथ स्थापना से पूर्व सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

(1) अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :–

(क) स्थल	–	गाटा संख्या–184, ग्राम व पो0–रैंसो, हरदोई रोड, तहसील–सण्डीला, जनपद–हरदोई।
(ख) उत्पादन	–	पेट्रोलियम भण्डारण/वितरण एवं रिटेल डीजल भण्डारण–30 कि0ली0 पेट्रोल भण्डारण--20 कि0ली0
(ग) मुख्य कच्चा माल/रसायन	–	पेट्रोल – 20 कि0ली0 डीजल – 30 कि0ली0
(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा	–	शून्य
(ङ.) प्रयुक्त ईंधन व उसकी मात्रा	–	मात्र विद्युत कनेक्शन एवं सोलर पैनल 6.0 के0वी0ए0।

उपर्युक्त विषयवस्तु में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(2) घरेलू बहिःश्राव जिसकी मात्रा 0.5 किली0/दिन से अधिक न होगी, को सेप्टिक टैंक/सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप शुद्धिकृत करके निस्तारित किया जाये।

(3) उत्पादन प्रक्रिया में जल का प्रयोग नहीं किया जाये।

.............2/–

(4) उत्पादन प्रक्रिया में जल का उपयोग कूलिंग/वाशिंग/मिक्सिंग आदि में नहीं किया जाये।

(5) इकाई द्वारा उत्पादन प्रक्रिया तथा सहयोगी प्रक्रियाओं में ईंधन का प्रयोग नहीं किया जायेगा और न ही किसी प्रकार का वायु उत्सर्जन किया जाये।

(6) इकाई में विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर सोलर पैनल 6.0 के0वी0ए0 का प्रयोग किया जाये।

(7) इकाई परिसर में उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश के अनुसार पर्याप्त हरित पट्टिका का विकास किया जाये।

(8) इकाई की स्थापना एवं संचालन इस प्रकार किया जाये कि पर्यावरण पर न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा कोई भी क्रिया–कलाप जनहित के प्रतिकूल नहीं किया जाये।

(9) अनापत्ति प्रमाण–पत्र की शर्तों की अनुपालन आख्या प्रत्येक माह बोर्ड को प्रेषित की जायेगी तथा ट्रायल उत्पादन से दो माह पूर्व सहमति जल/वायु हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर दिया जाये।

(10) एक्सप्लोसिव विभाग एवं कारखाना विभाग का लाइसेन्स प्राप्त करके तीन माह में जमा करें।

(11) मेसर्स एस्सार ऑयल लि0, नोएडा के पत्र सं0 यू0पी0–सी–1934 दिनांक–31.03.2016, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, हरदोई के पत्र दिनांक–26 मई, 2016 व लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र दिनांक 23.06.2016 में उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक–31.07.2017 तक वैध है। शर्तों के संशोधन का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त (रिवोक) किया जा सकता है।

भवदीय

(ए0 के0 चौधरी)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

सं0 एवं दिनांक–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5), उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित है।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)